कोविड–19 / महत्वपूर्ण

संख्या– 693 / 71–1–2021–जी0–228 / 2017टी0सी0–10

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2021**

विषयः– कोविड–19 महामारी से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बनाये गये कोविड चिकित्सालयों एवं जॉच लैबों में तैनात किये गये चिकित्सा कर्मियों हेतु मानदेय एवं प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कमशः अपने पत्र संख्या–एम0ई0–1 / 2021 / 1884 दिनॉक 03.05.2021 एवं पत्र संख्या–11फ / 2021–22 / कैम्प–6160(3), दिनॉक 04.05.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय चिकित्सालयों में स्थापित किये गये कोविड चिकित्सालयों तथा कोविड जॉच लैबों में कार्यरत कार्मिकों को मानदेय एवं प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) कोविड चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सो, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं सफाई कार्मियों (चाहे वह नियमित रूप से नियुक्त हो अथवा आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्त हो) को वर्तमान में दिये जा रहे मूल वेतन / नियत मानदेय पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जाये।

(2) कोविड चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न को दैनिक मानदेय रू0 500 /, एम0एस0सी0 नर्सिंग छात्र–छात्राओं को रू0 400 / –, बी0एस0सी0 नर्सिंग छात्र–छात्राओं को रू0 300 / –, एम0बी0बी0एस0 अन्तिम वर्ष तथा जी0एन0एम0 छात्र–छात्राओं को रू0 300 / – प्रतिदिन के दैनिक मानदेय पर तैनात किया जाये।

(3) कोविड चिकित्सालयों में जनशक्ति की कमी को दूर करने हेतु निजी क्षेत्र के एवं सेवानिवृत्त चिकित्सक / नर्स / पैरा मेडिकल स्टाफ को भी कोविड वार्डो में ड्यूटी हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें भी मानदेय के आधार पर इन्गेज किया जाये। इसके लिए उन्हें एन0एच0एम0 द्वारा स्वीकृत दर पर मानदेय एवं उस पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि पर इन्गेज किया जाये।

(4) कोविड–19 सैम्पल की जॉच हेतु जॉच लैबों एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों में तैनात किये जाने वाले मानव संसाधन यथा–मालिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डाटा इंट्री आपरेटर, लैब अटेन्डेन्ट को इनके मूल वेतन/मानदेय की राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाये।

3– उपरोक्तानुसार अनुमन्य की जा रही मानदेय एवं प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किये जाने में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

(1) उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही मानदेय एवं प्रोत्साहन धनराशि चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय चिकित्सालयों में ही लागू होगा।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही प्रोत्साहन धनराशि डेडीकेटेड कोविड वार्ड एवं कोविड जॉच लैबों में की गई ड्यूटी दिवसों के आधार पर ही दिया जायेगा। एक्टिव क्वारण्टाइन की अवधि को भी ड्यूटी दिवसों में जोड़ा जायेगा।

(3) जनशक्ति की कमी को दूर करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के एवं सेवानिवृत्त चिकित्सक/नर्स/पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवायें लिये जाने हेतु संबंधित विभागों द्वारा केन्द्रीकृत रूप से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी किन्तु भर्ती की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रहेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसके लिए प्रधानाचार्य/संस्थान निदेशक अधिकृत होंगे जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य समिति इस कार्य को सम्पादित करेगी। उक्त कार्मिकों हेतु माह में न्यूनतम 14 दिन की कोविड ड्यूटी अनिवार्य होगी।

(4) उक्त उपबन्धों के अन्तर्गत इंगेज किए जाने वाले कार्मिकों को शासन के वर्तमान नीति के अनुसार भोजन तथा एक्टिव क्वारण्टाइन की सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) उक्त उपबन्धों के अन्तर्गत इंगेज किए जाने वाले नियमित कार्मिकों को मानदेय एवं प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान वेतन मद से तथा शेष अन्य कार्मिकों को आउटसोर्सिंग मद से किया जायेगा जिसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने अपने बजट में उक्त हेतु पुनर्विनियोग अथवा अनुपूरक के माध्यम से बजट प्राविधान सुनिश्चित करायेंगे।

(6) उक्त उपबन्धों में तैनात किए जाने वाले कार्मिकों के लिए सृजित पदों की संख्या बाधक नहीं होगी परन्तु डाक्टर्स की संख्या 10 बेड पर एक, नर्सों की संख्या 07 बेड पर एक, वार्डब्वाय की संख्या 15 बेड पर एक व सफाई कर्मचारी की संख्या 15 बेड पर एक से अधिक नहीं होगी।

4– उक्त योजना दिनांक 01 मई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।

3– निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0।

4– निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 ।

5– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्तर से भी शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें।

6– प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

7– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

8– निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ/राजकीय आर्युविज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं शिक्षण संस्थान, नोएडा/सुपर स्पेशिलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।

8– कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश आर्युविज्ञान वि0वि0 सैफई, इटावा।

9– समस्त प्रधानाचार्य,राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेज उ0प्र0।

10– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/(आय–व्ययक) अनुभाग–1

12– चिकित्सा शिक्षा अनुभाग– 3

13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।